

ORDER - SHEET

THE COURT

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. 1173 of 2017

Signature of Parties of pleaders where Necessary

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Date of order of Proceeding

आज आरक्षी केन्द्र के उपनिरीक्षक / सहायक उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक के उपनिरीक्षक / सहायक के द्वारा थाना प्रभारी की ओर से अपराध के अंतर्गत धारा भा0दं0सं0 / 130 अर्थात् अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री

अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

निवासी / निवासीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा0दं0सं0 / 130 अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द0प्र0सं0 के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है। प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी 117 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0प्र0सं0 की धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से 7000/- (सात हजार रुपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त किया जाये।

इदरिशीर-फा

अभियुक्त

अभियुक्त

अभियुक्त

अभियुक्त

अभियुक्त

अभियुक्त

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleader where necessary
-----------------------------	---	---

चूँकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारंभ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा.....भा0दं0सं0/1317846..... अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय ~~अवमान तक की अवधि के दण्ड एवं 100-100~~ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 3340/- रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति ~~लाभ के प्रस्ताव~~ मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:
निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 150-400 रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6887 रसीद क0 21297 दी गई।
अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

होमदार
22/12/2024
होमदार
होमदार
होमदार
होमदार